Notification for संशोधन (1)
inviting objections.

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2539
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

श्रावण 13, मंगलवार, शाके 1914—अगस्त 4, 1992
Sravana 13, Tuesday, Saka—1914—August 4, 1992

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

श्रम एवं नियोजन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 24, 1992

जी. एस. आर. 20 :–राजस्थान कल्याण अधिकारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए राज्य सरकार जिन नियमों को, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 112 के साथ पठित धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उनका निम्नलिखित प्रारूप उससे संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 115 की अपेक्षानुसार, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 24-10-92 को या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा,

उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होने वाले किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे सभी सुझाव और आक्षेप शासन सचिव, श्रम, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित किये जायेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का नाम राजस्थान कल्याण अधिकारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1992 है।
2. राजस्थान कल्याण अधिकारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1959 के नियम 6 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) कल्याण अधिकारी का वेतनमान नीचे दिये गये वेतनमानों से कम नहीं होगा :—

वेतनमान—(1) प्रतिदिन सामान्यतः 500 से 1000 तक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए रु. 2000-60-2300- द.अ.-75